न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 42/2015

बलवंत पुत्र माडूराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गोगादेवी पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं.15 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपीराम पुत्र हुकमाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी पतरेवाला तह0 फाजिल्का (पंजाब)।

—रेस्पोडेटान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 15.04.2015

उपस्थित:—
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाक अपीलार्थी
श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 27.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया/वादिया ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया दिनांक 02.05.1981 से विवादित भूमि चक 43 एलएल डब्ल्यू खाता संख्या 75/60 के हरफूल के नाम से दर्ज आराजी पर शांतिपूर्वक लगातार स्वयं का खातेदारान काश्तकार मानते हुए काबिज चली आ रही है। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आने से वे जबरदस्ती भूमि पर काबिज होना चाहते हैं एवं अन्य को रहन बैय व मुन्तकिल करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादिया के वाद का औचित्य ही समाप्त

27/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें ।

अप्रार्थी सं. 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 15.04.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी सं. 2/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया अधी.न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा एवं इकरारनामा के आधार पर दावा लाई है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं मिल सकती एवं इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया का वाद चल सकता है या नहीं इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है या रेस्पों. के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पों. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध पेश की है, जिसमें रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अपीलाधीन आदेश को इस आधार पर निरस्त करने का निवेदन किया कि प्रार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है एवं उसका इस भूमि पर कोई हक नहीं बनता है।

27/11/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तीनों Ingridients यथा Prima facie case, Balance of convinience व Irreparable loss का विस्तृत कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाईस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर